

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1981/माघ 24, 1902
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1981/MAGHA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1981

का. आ. 95(अ)/18-चख/आई डी आर ए/81 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 105 (अ)/18-चख/आईडीआरए/78, तारीख 17 फरवरी, 1978 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 क 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि इस आदेश के जारी होने

की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाबों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका कि मैसर्स इन्दोर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी की लागू हो सकते हैं, प्रवर्तन उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहूँगा और उक्त तारीख से पूर्व तत्धीन प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 16 फरवरी, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-अख की उपधारा (2) के साथ पठित, उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 16 फरवरी, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3(1)/81-सी. यू. एस.]

आर. एन. चोपड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1981

S.O. 95(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 105(E)/18FB/IDRA/78, dated the 17th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations, and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said post ;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 16th February, 1981 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 16th February, 1982.

[File No. 3(1)/81-CUS]

R. N. CHOPRA, Additional Secy.

